

क्रमांक 3311032/छ.ग./2018
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

9435

दिनांक 16/05/2018

प्रति,

मुख्य अभियंता,

1. महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर
2. महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर
3. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
4. हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
5. हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर
6. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, ज.सं.वि., रायपुर
7. परियोजना प्रशासक, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर
8. परियोजना प्रशासक, हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, बिलासपुर

विषय :- मैदानी अधिकारियों के अवकाश पर प्रस्थान करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 1596/1525/31/स्था./2018 दिनांक 09.05.2018.

विषयांतर्गत शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। प्रकरण में वर्तमान में विभाग का वर्किंग सीजन होने के कारण शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सभी कार्यपालन अभियंता/अनुविभागीय अधिकारियों तथा उनके अधीनस्थ कार्यपालिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि विशेष परिस्थितियों में ही वे अपने वरिष्ठ एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति से अवकाश पर प्रस्थान करें, अर्जित अवकाश की अवधि 05 दिवस से अधिक का हो तो प्रमुख अभियंता की अनुमति के पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।

समस्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी राज्य से बाहर अवकाश पर जाने की स्थिति में (आकस्मिक अवकाश/अर्जित अवकाश हेतु) बिना स्वीकृति के प्रस्थान न करें, विशेष परिस्थितियों में सचिव स्तर से अनुमति प्राप्त उपरान्त ही प्रस्थान किया जाना सुनिश्चित करें।

यह व्यवस्था 15 जुलाई, 2018 तक प्रभावशील रहेगी। तत्पश्चात पूर्व व्यवस्था यथावत बनी रहेगी।

कृपया शासन द्वारा दिये उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन कराया/किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

क्रमांक 3311032/छ.ग./2018
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर
रायपुर, दिनांक 16/05/2018

पृष्ठा. क्रमांक 3311032/छ.ग./2018
प्रतिलिपि :-

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सहपत्र :- 1. कार्य. अभि. सम्बन्धी सूचि स्टेट जरा सेटर,
2. कार्य. 903/अ. ज. सं. वि. रायपुर में और वेबसाइट पर,
3. फॉलो-अप क्रमांक 331-332(अ), (4), (6), (8)
उपरोक्तानुसार

क्रमांक 3311032/छ.ग./2018
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक। 596 / 1525 / 31 / स्था. / 2018

नया रायपुर, दिनांक: 09 - 05 - 2018

प्रति,

1. प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
सिहावा भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. समस्त मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन विभाग,

(छत्तीसगढ़)

विषय:- मैदानी अधिकारियों के अवकाश पर प्रस्थान करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश बाबत।

—:: 000 ::—

निर्देशानुसार, वर्तमान में विभाग का वर्किंग सीजन है, निर्माण कार्यों एवं विकास यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए, मैदानी स्तर पर कार्यरत सभी कार्यपालन अभियंता / अनुविभागीय अधिकारियों तथा उनके अधीनस्थ कार्यपालिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि विशेष परिस्थितियों में ही वे अपने वरिष्ठ एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति से अवकाश पर प्रस्थान करें, अर्जित अवकाश की अवधि 05 दिवस से अधिक का हो तो प्रमुख अभियंता की अनुमति के पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।

समस्त मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी राज्य से बाहर अवकाश पर जाने की स्थिति में (आकस्मिक अवकाश / अर्जित अवकाश हेतु) बिना स्वीकृति के प्रस्थान न करें, विशेष परिस्थितियों में सचिव स्तर से अनुमति प्राप्त उपरांत ही प्रस्थान किया जाना सुनिश्चित करें।

यह व्यवस्था 15 जुलाई, 2018 तक प्रभावशील रहेगी। तत्पश्चात पूर्व व्यवस्था यथावत् बनी रहेगी।

कृपया उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

A. B. 9/5/2018
(राजीव अहिरे)

अवर सचिव

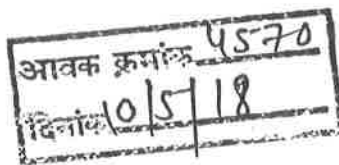
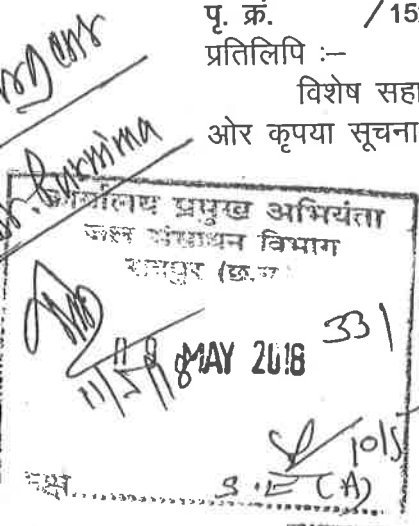
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक:

पृ. क्रं. / 1525 / 31 / स्था. / 2018

प्रतिलिपि :-

विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग